

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:-

शास्त्रीनगर, पटना में वरीय पदाधिकारी के आवास निर्माण कार्य योजना हेतु कुल ₹83.40 करोड़ (तिरासी करोड़ चालीस लाख रुपये)मात्र का वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 181(नि.) अनु0 दिनांक 31.01.2019 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विषयवित्त कार्य हेतु कुल ₹83.40 करोड़ (तिरासी करोड़ चालीस लाख रुपये)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- पूर्व में इस योजना का क्रियान्वयन शास्त्रीनगर अवस्थित अन्य स्थल पर चार ब्लॉक (104 यूनिट) के लिए प्रस्तावित था परंतु उक्त स्थल अतिक्रमित होने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन शास्त्रीनगर अवस्थित उस स्थल पर किया जायेगा, जहाँ पर पूर्व में चतुर्थ वर्गीय आवास (96 सेट एवं 120 सेट) अवस्थित था। (वर्तमान में स्थल की चौहद्दी इस प्रकार है- (क) पूर्व-नाला एवं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर (ख) दक्षिण-सड़क एवं निजी भवन (ग) पश्चिम-सड़क एवं सरकारी आवास संख्या-721-726/800 तथा (घ) उत्तर- सरकारी आवास संख्या-655-666/800, 643-648/800 एवं 703-708/800 एवं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय का छात्रावास)। चूंकि गर्दनीबाग में 432 अर्द्ध चतुर्थ वर्गीय आवास के नवनिर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः विभागीय समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में वरीय पदाधिकारियों (प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष स्तर) के आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थल पर तीन ब्लॉक (78 यूनिट) का निर्माण किया जाना है।
- इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के मुख्य शीर्ष- 4216-आवास पर पूर्वागत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन-लघुशीर्ष-700-अन्य आवास- उपशीर्ष-0101-अन्य आवास-विषय शीर्ष-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03-4216017000101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्य एवं बजट उपबंध के अधीन 0.10 करोड़ (दस लाख रुपये) तक व्यय सीमित रहेगा एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹41.65 करोड़ (एकतालीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये) तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शेष राशि ₹41.65 करोड़ (एकतालीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये) का व्यय किया जायेगा।
- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, संरचना भवन प्रमंडल सं0-2, भवन निर्माण विभाग, पटना हेतु।
- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, वेली रोड, पटना से की जायेगी।
- प्रस्तुत योजना की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा सं0सं0-भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक0-1-59/17 के पृष्ठ-34/टि. पर दिनांक-18.02.2019 को प्रदान की गयी है जो संकल्प सं0-2267(भ) दिनांक-26.02.2019 द्वारा अधिसूचित है।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के अलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक0-1-59/17 के पृष्ठ-35/टि0 पर प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र सं0 7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

आपांक 31.1.19

पटना,

दिनांक- 2.3.19

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन वेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः...

ज्ञापक- ५१०१७१/ पटना, दिनांक- 2.5.19
प्रतिलिपि-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/ निरूपण
उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, पटना/भवन अंचल, पटना/उप
निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-2, पटना/बजट पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी
(बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आईओटी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

५

- 112 -

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषय:- ₹83.40 करोड़ (तिरासी करोड़ चालीस लाख) की लागत पर शास्त्रीनगर, पटना में वरीय पदाधिकारी के आवास निर्माण कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

पटना शहर में वरीय पदाधिकारियों के आवासन हेतु सरकारी आवासों की कमी को देखते हुए इस योजना पर निर्माण कार्य कराया जाना है। उक्त निर्माण योजना का प्लान एरिया (कम्यूनिटी सेंटर (G+2) भवन के साथ) 24612.80 वर्ग मीटर तथा STILT AREA 4452 वर्ग मीटर का होगा। विषयांकित निर्माण कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत क्रमशः वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0.10 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019-2020 ₹41.65 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹41.65 करोड़ का व्यय किया जायेगा।

2. पूर्व में इस योजना का क्रियान्वयन शास्त्रीनगर अवस्थित अन्य स्थल पर चार ब्लॉक (104 यूनिट) के लिए प्रस्तावित था परंतु उक्त स्थल अतिक्रमित होने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन शास्त्रीनगर अवस्थित उस स्थल पर किया जायेगा, जहाँ पर पूर्व में चतुर्थ वर्गीय आवास (96 सेट एवं 120 सेट) अवस्थित था। (वर्तमान में स्थल की चौहद्दी इस प्रकार है- (क) पूर्व-नाला एवं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर (ख) दक्षिण-सड़क एवं निजी भवन (ग) पश्चिम-सड़क एवं सरकारी आवास संख्या-721-726/800 तथा (घ) उत्तर-सरकारी आवास संख्या-655-666/800, 643-648/800 एवं 703-708/800 एवं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय का छात्रावास)। चूंकि गर्दनीबाग में 432 अदद चतुर्थ वर्गीय आवास के नवनिर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः विभागीय समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में वरीय पदाधिकारियों (प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष स्तर) के आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थल पर तीन ब्लॉक (78 यूनिट) का निर्माण किया जाना है। पूर्व में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भवन को नहीं बनाया जाएगा एवं योजना के परामर्शी को मात्र इस स्टेज तक किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।

3. शास्त्रीनगर, पटना में विषयांकित योजना के निर्माण स्थल पर दिनांक 05.06.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-30 के रूप में स्वीकृत 330 चतुर्थ वर्गीय टाईप A स्टाफ क्वार्टर, दो अदद गार्ड रुम एवं परिसर विकास हेतु कुल लागत ₹61.57 करोड़ की स्वीकृत योजना को निरस्त करते हुए वर्तमान में वरीय पदाधिकारी के आवास निर्माण योजना पर राज्य मंत्री परिषद् द्वारा दिनांक 18.02.2019 की बैठक में मद संख्या-17 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹83.40 करोड़ (तिरासी करोड़ चालीस लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस योजना का व्यय मुख्य शीर्ष 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन लघु शीर्ष-700-अन्य आवास उपशीर्ष-0101-अन्य आवास विषय शीर्ष 0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड 03-4216017000101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित कुल ₹1,98,00,00,000/- (एक अरब अठानवे करोड़) रुपये से वहन किया जायेगा।

5. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चंचल कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-भ0/म0अ0(प0)यो0प्राक-1-59/17 22 (1) (31)

पटना, दिनांक- 2.6.2019

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

प्रधान सचिव

क्रमशः...

ज्ञापांक-भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक्-1-59/17 2267 (61)

पटना, दिनांक- 26.2.17

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 51219

ज्ञापांक-भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक्-1-59/17 2267 (61)

पटना, दिनांक- 26.2.17

प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आपा सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आपा सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निरूपण उपभाग, निदेशक (अनुश्रवण)/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण/सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 51219

21

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-1745 दिनांक-14.02.2019 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-18.02.2019 में मद संख्या-17 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

17. ₹83.40 करोड़ (तिरासी करोड़ चालीस लाख) की लागत पर शास्त्रीनगर, पटना में वरीय पदाधिकारी के आवास निर्माण कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग

अंचल कुम्हार

आक

20/2/19

मुख्य आदेश (दोहरा)

एकना लंकन आ जामद

20/2/19

CEP
20/2/19

श्री देवशर्मा
20/2/19

अपरोक्त आदेश।

मंत्रिपरिषद् के प्राप्त अपरोक्त कार्य की स्वीकृति के आदेश में संकल्प प्राप्ति के कारण